न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर R 3781-I-16

251

मुस्ताफ अली पुत्र श्री तेज अली
निवासी – नारायण बाग, छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
—— आवेदक

विरूद्ध

रामकिशोर नाई पुत्र श्री बैनी नाई, निवासी ग्राम पीरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, जर्ये मुख्यात्यारआम अशफाक अली पुत्र तेज अली, निवासी नारायण बाग, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) —— अनावेदक

न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–89–अ (13)/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2011 एवं नायब तहसीलदार राजनगर, प्रभारी मण्डल चन्दनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार, वृत्त चन्द्रनगर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, नायब तहसीलदार, वृत्त चन्द्रनगर के समक्ष मौजा पीरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1517/2/1/1/घ, 1517/2/2क/1/4 कुल किता 2 में से विक्रीत रकवा 0.623 हैक्टेयर लगान 1.36 का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 06.08.2013 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन–पत्र संहिता की धारा 109–110 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था एवं विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण की मांग की गयी थी, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं विधिवत थी, ऐसी स्थिति में नामान्तरण किया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति में पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निगरानी- 3787-एक/2016 जिला-छतरपुर

मुस्ताफ अली विरूद्ध रामकिशोर नाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
JI -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-89-अ(13)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2011 एवं नायब तहसीलदार राजनगर, प्रभारी मण्डल चन्दनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

11.01.19

छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य